



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082022-237856
CG-DL-E-03082022-237856

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3455]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2022/श्रावण 11, 1944

No. 3455]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2022/SHRAVANA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2022

का.आ. 3621(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-33 के किमी. 241.940 किमी. से 251.962 (कालीमंदिर-डिमना चौक-बालिगुमा (जमशेदपुर सेक्शन) तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-33 के किमी 241.940 किमी से 251.962 (कालीमंदिर-डिमना चौक-बालिगुमा (जमशेदपुर सेक्शन) तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला भू-अर्जन अधिकारी, पूर्वी सिंहभूम ()	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH33 के	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम	बोराम	1 मिर्जाडीह

		कि.मी. 244 से 251.962 तक			मानगो	1 पारडीह 2 जमशेदपुर (वार्ड नम्बर 9)
2	जिला भू-अर्जन अधिकारी, सराईकेला खरसावां ()	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH33 के कि.मी. 241.94 से 244 तक	झारखंड	सराईकेला खरसावां	चांडिल	1 आसनबनी

[फा. सं. NHAI/PIU/PD/JSR/NH-33/3(a)/LA]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2022

S.O. 3621(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land **from Km. 241.940 to Km. 251.962 of the National Highway No. 33 (Kalimandir-Dimna Chowk-Baliguma (Jamshedpur Section))** for building (widening/four/six-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of JHARKHAND.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 33 from Km. 241.940 to Km. 251.962 (Kalimandir-Dimna Chowk-Baliguma (Jamshedpur) Section) in the State of JHARKHAND.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Land Acquisition Officer, East Singhbhum ()	244KM To 251.962KM	JHARKHAND	EAST SINGHBUM	Boram	1 Mirjadih
					Mango	1 Pardih 2 Jamshedpur (Ward No. 9)
2	District Land Acquisition Officer, Saraikela Kharsawan	241.94KM To 244KM	JHARKHAND	SARAIKELA KHARSAWAN	Chandil	1 Asanbani

[F. No. NHAI/PIU/PD/JSR/NH-33/3(a)/LA]

RAJESH GUPTA, Director